82

न्यायालय श्रीमा न् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

III/निग0/सीधी/भू-रा0/2017/3133

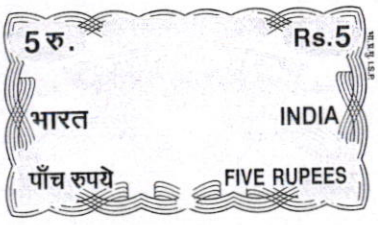

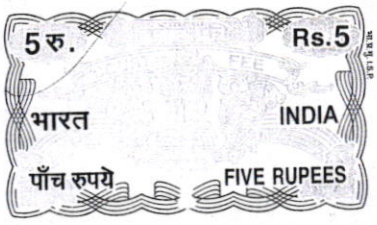

रामशिरोमणि तनय अमृतलाल जायसवाल निवासी ग्राम अमिलिया तहसील सिहावल जिला सीधी म0प्र0 ——आवेदक

बनाम

श्रीमती कौशिल्या सिंह पत्नी विजयराज सिंह चन्देल निवासी ग्राम अमिलिया तहसील सिहावल जिला सीधी म0प्र0 —— अनावेदिका

आवेदक श्रीरामशिरोमणि जायसवाल द्वारा पेश 06-9-17

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय अमिलिया द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 24 अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2017

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

निम्न पुनरीक्षण पेश है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व न्याय के विपरीत है।
2. यह कि अनावेदिका द्वारा ग्राम अमिलिया की आराजी खसरा क्रमांक 2652, 2653, 2654, 2664, 2665 स्थित ग्राम अमिलिया के सीमांकन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
निगरानी प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/3133

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अमलिया तहसील सिंहवाल जिला सीधी के प्रकरण कमांक 24 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 13–6–17 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने ग्राम अमलिया की आराजी कमांक 2652, 2653,2654,2664,2665 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 24 अ–12/16–17 पॅजीबद्व किया तथा हलका पटवारी ने सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की। हलका पटवारी ने दिनांक 4–6–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 5–6–17 राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत किया। सीमांकन पर आपत्ति न आने के कारण राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 24 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 13–6–2017 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि हलका पटवारी ने अनावेदक को सूचना दिये बिना चोरी छिपे सीमांकन किया है जिसकी सूचना आवेदक को नहीं हुई, यदि आवेदक को सीमांकन की सूचना दी जाती है, निश्चित है वह अपना पक्ष समर्थन करता । अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है	

जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी है। अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 13–6–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य